

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,

ऑडिट भवन, ग्वालियर-474002

Office of the Principal Accountant General (Audit-I) Madhya Pradesh,

Audit Bhavan, Gwalior 474002

क्र./प्रशा.11/स-1/DDBSA/का.आ./

दिनांक: 06.02.2026

कार्यालय आदेश-489

Office Order- 489

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने राज्यों में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और सटीकता का आकलन करने के लिए डेटा-आधारित लाभार्थी योजना लेखापरीक्षा (डीडीबीएसए) शुरू की है। इस पहल के अंतर्गत, मुख्यालय के सीडीएमए विंग में 28.01.2026 को एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य-विशिष्ट एडीएम तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए गए।

The Comptroller and Auditor General of India has launched a Data-Driven Beneficiary Schemes Audit (DDBSA) to assess the effectiveness, transparency, and accuracy of implementation of major welfare schemes across the States. As part of this initiative, a workshop was held at CDMA wing of HQs on 28.01.2026, wherein instructions were issued by the competent authority for preparation of State-specific ADMs for:

1. PM Awas Yojna (PMAY) Urban and Rural
2. Swachha Bharat Mission (SBM) Urban and Rural
3. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)
4. Ayushman Bharat
5. PM KISAN
6. PM Ujjwala Yojna (PMUY)
7. PM Garib Kalyan Anna Yojna (PMGKAY)

क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित योजनाओं का लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश, ग्वालियर स्थित महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) कार्यालय के अंतर्गत आता है। यह कार्य 11.02.2026 तक पूर्ण किया जाना है। इस प्रकार तैयार किए गए लेखापरीक्षा विवरण (एडीएम) को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए 11.02.2026 को लीड टीम डीडीबीएसए को प्रस्तुत किया जाना है। अतः सक्षम प्राधिकारी ने पूर्व कार्य अनुभव के आधार पर उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में राज्य-विशिष्ट लेखापरीक्षा विवरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया जाता है:

The audit jurisdiction for Schemes mentioned from Sl. No 1 to 5 comes under the O/o Accountant General (Audit-I), MP, Gwalior. The task is to be completed by 11.02.2026. The ADMs thus prepared are to be submitted on 11.02.2026 to the Lead Team DDBSA for further necessary action. As such the competent authority has nominated following officers for preparing State-specific ADMs in respect of the above-mentioned schemes on the basis of their past assignments:

SNo.	Name of the Officers	Allotted Scheme for ADM preparation
1	Sh. Vinod Kumar Raina, SAO (01/J&K)	PM Ujjwala Yojna (PMUY)
2	Sh. Rajesh Kumar Tiwari, SAO (01/6402)	PM Awas Yojna (Urban)
3	Sh. Lal Mani, SAO (01/6758)	PM Awas Yojna (Rural)
4	Sh. Krishna Kumar, SAO (01/6200)	MGNREGS
5	Sh. Santosh Kumar Pathak, SAO (01/6219)	Ayushman Bharat
6	Sh. Vidyanand Verma, SAO (01/10427)	PM Garib Kalyan Anna Yojna (PMGKAY)
7	Sh. Prabhat Paunia, AAO (02/10892)	SBM (Rural)
8	Sh. Ram Niwas Pandey, AAO (02/6663)	PM KISAN

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एसबीएम (शहरी) के लिए एडीएम तैयार करने का कार्य पीएमएवाई और एसबीएम योजनाओं के बीच अभिसरण के आधार पर श्री राजेश कुमार तिवारी, एसएओ और श्री लाल मणि, एसएओ

की लेखापरीक्षा टीम को सौंपा गया है। वे उपर्युक्त वर्णित अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ एसबीएम (शहरी) का एडीएम तैयार करेंगे। क्षेत्र सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण से उत्पन्न होने वाले संभावित लेखापरीक्षा मुद्दों को स्थापित करने के लिए सत्यापित किए जाने वाले योजना प्रावधानों और संबंधित अभिलेखों को एडीएम में मैप किया जाना है। योजनाओं पर सीडीएमए रिपोर्ट और लाभार्थी सर्वेक्षण और क्षेत्र में डेटा विश्लेषण के सत्यापन के लिए लीड टीम डीडीबीएसए द्वारा तैयार किए गए पूर्व एडीएम को कार्य के उद्देश्यों के संदर्भ में त्वरित संदर्भ के लिए उपरोक्त अधिकारियों को ईमेल किया जा रहा है।

उक्त आठ अधिकारी अपने नियमित कार्य के अतिरिक्त इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।

In addition to the above the ADM preparation task for SBM (Urban) is allotted to an Audit Team consisting of Sh. Rajesh Kumar Tiwari, SAO and Sh. Lal Mani, SAO on the basis of convergence between the PMAY and SBM schemes. They will prepare the ADM of SBM (Urban) along with their individual tasks as shown above. The scheme provisions and related records to be verified for establishing the probable audit issues emanating from the field survey and data analysis are to be mapped in the ADMs. The CDMA reports on the schemes and earlier ADMs prepared by the Lead Team DDBSA for verification of beneficiary survey and data analysis in field are being emailed to the above officers for ready reference in respect of objectives of the task.

These eight officials will complete this task in timeline in addition to their regular work.

(महालेखाकार महोदय द्वारा अनुमोदित)

हस्ता /-

उप महालेखाकार/प्रशासन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) म.प्र., ग्वालियर ।
2. उप महालेखाकार/प्रशासन, ए.एम.जी.-1,2,3,4,5 ।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12,13,14, SMU, APDAC, AIC-I,II & III, गोपनीय कक्ष, विधि कक्ष, रिपोर्ट, रिपोर्ट-पी.ए.सी., हिंदी कक्ष, फास, फाप, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, कल्याण कक्ष एवं ITA ।
4. स.ले.प.अ. (DAG Cell)/ ए.एम.जी.-1,2,3,4 एवं 5 ।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS-Wing & E-Cell को इन्टरनेट एवं इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /DDBSA ।
7. श्री उत्कर्ष यादव, स.ले.प.अ. को इन्टरनेट/इंटरनेट सम्बन्धी कार्य हेतु ।
8. संबंधित अधिकारी ।
9. सूचना पटल एवं गार्ड फाइल ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11
06.02.25